भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-11

उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

टाइप-1 मधुमेह पीड़ित विद्यार्थियों को कक्षा और परीक्षा में अनुमति

***11. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में महाराष्ट्र शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा I से XII तक टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित विद्यार्थियों को विशेष आवश्यकता (दिव्यांग) श्रेणी का भाग मानते हुए कक्षा में और परीक्षाओं के दौरान अल्पाहार करने और दवा लेने की अनुमति दिए जाने के निर्णय की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि शिक्षा विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान सतत ग्लूकोज मॉनीटरिंग (सीजीएम), फ्लैश ग्लूकोज मॉनीटरिंग (एफजीएम) अथवा इंसुलिन पंप जैसे उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस प्रावधान का समर्थन करती है कि यदि किसी स्मार्टफोन का उपयोग ग्लूकोज की निगरानी के लिए किया जा रहा है तो उसे केवल शिक्षक या निरीक्षक के पास ही रखा जाना चाहिए; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य श्री सय्यद ईमत्याज जलील द्वारा 'टाइप-1 मधुमेह पीड़ित विद्यार्थियों को कक्षा और परीक्षा में अनुमति' के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछा जाने वाला लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 11 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड.): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत समुचित सरकारें हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 26.10.2023 के सरकारी संकल्प के माध्यम से कक्षा I से XII तक के टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित छात्रों को कक्षा में और परीक्षाओं के दौरान अल्पाहार करने और दवा लेने की अनुमति दी है। टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित छात्र मांग किए जाने पर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 26.10.2023 के संकल्प के पैरा 22.24 में उल्लेख किया गया है कि यदि ग्लूकोज़ की निगरानी के लिए स्मार्टफोन का उपयोग किया जा रहा है तो इसे केवल शिक्षक या पर्यवेक्षक के पास रखा जाना चाहिए।

*****